मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा–2018

आयोजन की सूचना दिनांक 30.05.2018

प्रवेश पत्र उपलब्धता अवधि	परीक्षा अवधि
दिनांक **01.07.2018** से	दिनांक **23.07.2018** से
दिनांक **21.07.2018** तक	दिनांक **28.07.2018** तक

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्यसेवा परीक्षा 2018 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 05/2017 दिनांक 12.12.2017 के संदर्भ में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2017 का आयोजन **दिनांक 23.07.2018 से दिनांक 28.07.2018 तक** इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर संभागीय मुख्यालयों स्थित परीक्षा केन्द्रों पर निम्नानुसार आयोजित की जायेगी :–

दिनांक	विषय	समय
23.07.2018	सामान्य अध्ययन–I	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
24.07.2018	सामान्य अध्ययन–II	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
25.07.2018	सामान्य अध्ययन– III	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
26.07.2018	सामान्य अध्ययन–IV	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
27.07.2018	सामान्य हिन्दी	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर पश्चात 1:00 बजे तक
28.07.2018	हिन्दी निबंध लेखन	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

टीपः– (1) परीक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक कारणों से केन्द्रों की संख्या को कम किया जा सकता है ।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि षष्टम प्रश्न–पत्र हिन्दी निबन्ध लेखन प्रश्न–पत्र सभी अभ्यर्थियों को हिन्दी में ही हल करना होगा । अंग्रेजी माध्यम चयनित करने वाले अभ्यर्थियों को भी षष्टम प्रश्न–पत्र हिन्दी माध्यम से ही हल करना होगा।

02 मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक **01.07.2018** से दिनांक **21.07.2018** तक **www.mponline.gov.in, www.mppsdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगें । प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किये जायेंगें । प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं । कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/– पोर्टल शुल्क देय होगा ।

03 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कही सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों तथा 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के बैंक खाते मे किया जायेगा । अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगें:–

(1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(2) निःशक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(3) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो ।

सचिव